# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

**अपील संख्या 2021/0015 (185/2021)**

साहबराम पुत्र घेरूराम जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0) **–अपीलांट**

**बनाम**

1. देवीलाल पुत्र घेरूराम जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
2. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
–असल रेस्पोडेण्ट
3. औमप्रकाश पुत्र घेरूराम जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0) **––तरतीबी रेस्पोडेंट**

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व निर्णय दिनांक 30.09.2021, प्र. सं. 18/2019
अनवान देवीलाल बनाम औमप्रकाश आदि
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

उपस्थितः–
श्री शिवराज सिंह खोसा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2
रेस्पो0 सं0 3 स्वयं उपस्थित इनकी पहचान श्री अश्वनी कुमार अभिभाषक ने की

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 03.11.2021

1 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के अन्तगत प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन कियाकि उसके नाम तहसील पीलीबंगा के चक 16 एमओडी के खाता संख्या 46/43 के प. [illegible] 255 (13) किला नं. 16, 17, 21 ता 25 की 1.771 है0 भूमि है। [illegible] खाता संख्या 29/29 में 2.277 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 16 एमओडी के खाता संख्या [illegible] 255 (13) किला [illegible] ता 15 कुल 3.795 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम चक 16 एमओडी के खाता संख्या 125/119 प. नं. 34/255 (12) किला नं. 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 व इसी चक के खाता संख्या 126/120, प. नं. 35/255 (13) किला नं. 20 की .253 है0 प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नं. 34/256 (14) किला नं. 3, 4, 7 कुल .759 है0 कुल 1.012 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही हेाने का कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 16 एमओडी प. नं. 35/255 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम प. नं. 35/255 (13) के किला नं. 20 प्रत्येक में 0.013–0.013 है0 यानि 8.5 फुट चालू रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्त स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई एवं अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपील में अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 सं0 2 व 3 स्वयं उपस्थित आये। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्टगण के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई गौर नहीं किया एवं ना ही उनका कोई उल्लेख किया है। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई जबकि साहबराम मौका रिपोर्ट के बिन्दू ख में सहमत नहीं है। साहबराम प. नं. 35/255 के किला नं. 20 में उत्तर दक्षिण रास्ता नहीं देना चाहता है। साहबराम किला नं. 20 में पूर्व से पश्चिम में रास्ता देना चाहता है उक्त तथ्य की रिपोर्ट विचारण न्यायालय में द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपने पूर्व बंटवारे अनुसार चक 21 जेआरके के प. नं. 35/256 किला नं. 11, 20, 21 से प्रार्थी की कृषि भूमि प. नं. 35/256 का किला नं. 10 मात्र 03 बीघा की लम्बाई की दूरी है जो निकटतम रास्ता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेण्ट सं0 1 के प्रार्थना–पत्र का विरोध न करते हुए इकबाल दावा प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित है कि मुझ अपीलाण्ट को नाजायज हैरान परेशान करने व कृषि भूमि को दो टुकड़ों में विभाजित करने के उद्देश्य प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। धन्नी देवी वगैरा की कृषि भूमि भी संयुक्त खाता में है उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। स्वीकृतशुदा रास्ता के अलावा रेस्पोडेण्ट के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रश्नगत रास्ता सुविधाजनक व नजदीक है। राजस्व अभिलेख में यह रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण रेस्पो0 को काफी असुविधा होती है। इसलिए यह रास्ता स्वीकृत करवाया गया है। अपीलाण्ट का धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाकर विधि सम्मत तरीके से आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:33:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

के समर्थन में 2018 (2) आरआरटी पेज 92, 2016 आरआरडी पेज 229 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. विद्वान अभिभाषेक रेस्पो0 सं0 3 ने कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायलाय ने रेस्पो0 सं0 1 द्वारा रास्ता स्वीकृत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। जिस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कियाकि तहसीलदार द्वारा कानूनी रूप से मौका रिपोर्ट सही प्रस्तुत नहीं की गई। तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें पूर्व रिपोर्ट की भांति किला नं. 1, 10, 11 में मौका पर रास्ता चालू होना बताया व किला नं. 20 में मौका पर रास्ता बंद होने की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 16 एमओडी प. नं. 35/255 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व अप्रार्थी सं0 2 के नाम प. नं. 35/255 (13) किला नं. 20 प्रत्येक में 0.013–0.013 है0 चालू रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट प. नं. 35/255 के किला नं. 20 में उत्तर दक्षिण रास्ता नहीं देना चाहता, साहबराम किला नं. 20 में पूर्व से पश्चिम में रास्ता देना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में इस आपत्ति पर कोई विवेचन नहीं किया है। चूंकि पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपीलाण्ट उपरौक्तानुसार रास्ता देने हेतु सहमत है और सुझाये गये रास्ते को स्वीकृत करने में रेस्पो0 आसानी से आवागमन कर सकता है और अपीलाण्ट की भूमि के दो टुकड़े भी नहीं होंगे। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2021 में प. नं. 35/255 के किला नं. 20 में 0.013 है0 पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा स्वीकृत रास्ते की हद तक निरस्त किया जाता है एवं प. नं. 35/255 के किला नं. 20 में उत्तरी दिशा में पश्चिम से पूर्व 0.013 है0 व पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.013 है0 दिशा में स्वीकृत किये जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। [illegible] नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.XI.2021 को मेरे द्वारा [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:37 IST
Reason: SelfAttested

3/XI/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)